A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 69/2018

महेन्द्र कुमार रिंगसिया पुत्र रामलाल, जाति महाजन, निवासी वार्ड नं0 24, कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
2. इन्द्रादेवी पत्नि गंगाधर जाति जाट, निवासी चनाना, तहसील, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार झुंझुनूं दिनांक 27.10.2017 बाबत नामान्तरकरण संख्या 3750

——

उपस्थित

1. श्री राजकुमार सैनी, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 05.11.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 27.10.2017 नामान्तरकरण संख्या 3750 वाके ग्राम झुंझुनूं के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र मि0अ0 दफा 5 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट्स के अनुसार निम्नानुसार है :– अपीलान्ट महेन्द्र कुमार व किशोरीलाल दोनो सगे भाई है और अपीलान्ट कस्बा झुंझुनूं मे ही स्थाई निवास करता है तथा किशोरीलाल कुंतीधार जिला हुगली वेस्ट बंगाल हारल वर्तमान रघुनाथपुरा जिला पश्चिमी मदीनपुर बेस्ट बंगाल मे निवास करता था। उक्त किशोर कुमार व अपीलान्ट की अविभाजित आमलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 3575 रकबा 1.22 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3578 रकबा 2.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टेयर कस्बा झुंझुनूं मे स्थित है जिसमे अपीलान्ट व किशोरीलाल प्रत्येक का 1/14 – 1/14 हिस्सा था। किशोरीलाल ने अपने हिस्से की भूमि को बेचने का सौदा विपक्षी नम्बर 2 से करके अपीलान्ट जो सगा भाई है, को अपना मुख्त्यार खास नियुक्त कर उक्त भूमि मे अपना हिस्सा 1/14 को बेचने की हिदायत देते हुए भूमि बाबत समस्त अधिकार अपीलान्ट को जरिये मुख्त्यार दिनांक 04.12.2013 प्रदत्त कर दिये। अपीलान्ट ने दिनांक 30.06.2014 को किशोरीलाल की हिदायतानुसार किशोरीलाल का 1/14 हिस्सा विपक्षी नम्बर 2 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। विक्रय पत्र की धारा 1 मे स्पष्ट वर्णन है कि जो कि गुढा रोड से हटकर रेल्वे फाटक से डेढ किलोमीटर आगे कस्बा झुंझुनूं मे खेत खसरा नम्बर 3575, 3578 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टेयर जमीन स्थित है जिसमे मेरा 1/14 हिस्सा है जो राजस्व रिकार्ड मे किशोरीलाल पुत्र रामलाल के नाम से दर्ज है जिनका मे मुख्त्यार नियुक्त हूं। जिसको मे काश्त

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

रता हूं, मेरा ही अधिकार है, कब्जा है जो हर प्रकार के ऋण व भार से शुद्व व पवित्र है। ना ही किसी न्यायालय मे विवादित है। उपरोक्त मुख्त्यार नियुक्त करनेवाला अभी तक जीवित है। मुख्त्यारनामा अभी तक निरस्त नही किया है। इस प्रकार विक्रय पत्र की धारा 2 मे भी स्पष्ट अंकन है और विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2014 अपीलान्ट ने मुखतयारनामा प्रदत्त करने वाले किशोरीलाल की हिदायतानुसार विपक्षी संख्या 2 को तस्दीक करवा दिया लेकिन राजस्व कर्मचारी व पटवारी हल्का द्वारा सहवन से नामान्तरकरण संख्या 3750 दर्ज करते समय हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को किशोरीलाल का मुख्तयार नही दर्शाते हुए राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का 1/14 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम से तस्दीक दर्शाते हुए गलत नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। कानूनन किशोरीलाल का 1/14 हिसा जरिये मुख्त्यार महेन्द्र कुमार द्वारा बेचान होना चाहिए था जबकि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 3750 दिनांक 13.12.2017 को तस्दीक करते हुए विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे अपीलान्ट की भूमि का बेचान बताकर तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 27.10.2017 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिसमे किशोरीलाल की भूमि के बेचान की जगह अपीलान्ट महेन्द्र कुमार की भूमि का बेचान सहवन से कर दिया और राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम छुट गया तथा भूमि का विक्रेता किशोरीलाल के नाम से अभी भी राजस्व रिकार्ड मे भूमि दर्ज है, जो एक अवैध एवं गलत प्रविष्टि है, गलत प्रविष्टि है जिसको प्रार्थी/अपीलान्ट दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। अपीलान्ट को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी कभी नही हुई। दिनांक 27.06.2018 को अपीलान्ट ने अपनी भूमि पर के0सी0सी0 बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो अपीलान्ट को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का ज्ञान हुआ। अपीलान्ट को दिनांक 27.06.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकार्ड का ज्ञान होने पर अपील अन्दर मियाद पेश है। फिर भी अगर श्रीमान् अपील को कारणवंश मियाद बाहर मानते है तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र सलंग्न पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर के तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश व नामान्तरकरण संख्या 3750 दिनांक 27.12.2017 को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर किशोरीलाल की भूमि का अपीलान्ट की जगह रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट महेन्द्र कुमार व किशोरीलाल दोनो सगे भाई है और अपीलान्ट अपने सगे भाई किशोरीलाल का मुख्त्यार है। अपीलान्ट ने अपने भाई की जमीन उसकी हिदायत के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 को बेची थी परन्तु अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं ने विक्रय का नामान्तरकरण अपीलान्ट के स्वयं के हिस्से की जमीन का भर दिया जिससे विक्रय के बाद भी अपीलान्ट के भाई किशोरीलाल का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का कोई हिस्सा दर्ज नही रहा। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान दस्तावेज सूची किता 1 के रूप मे किशोरीलाल की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रों का शपथ पत्र पेश किया। उक्त शपथ पत्र द्वारा किशोरीलाल के पुत्रों ने प्रकरण मे अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश व नामान्तरकरण संख्या 3750 दिनांक 27.12.2017 को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर किशोरीलाल की भूमि का अपीलान्ट की जगह रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनो का न तो कोई विरोध नही किया और ना ही कोई आपत्ति पेश की।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का खास खण्डन नही किया। राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि यदि नामान्तरकरण नियमानुसार नही है तो प्रकरण रिमाण्ड कर बाद जांच पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण भरा जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट महेन्द्र कुमार अपने भाई किशोरीलाल मुख्त्यार था। उसके मुख्त्यार के रूप मे अपने भाई किशोरीलाल के 1/14 हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3575 रकबा [illegible] हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3578 रकबा 2.25 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 हैक्टेयर स्थित झुंझुनू का बेचान किया है। इस बात की पुष्टि किशोरीलाल के पुत्रगण भी अपने शपथ पत्र प्रस्तुत करते है। ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत का आदेश दिनांक 27.10.2020 विधिनुकूल नही समझते। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण संख्या [illegible] पर पारित आदेश दिनांक 27.10.2017 निरस्त किया जाता है तथा अपील इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे दस्तावेजों का पूर्ण अध्ययन कर अपीलान्ट की समुचित सुनवाई करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गयङ्ग

(यू0डी0खान) 05/11/20

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं